

न्यायालय उपखंड अधिकारी

पदेन सहायक हुक्मद्वारा कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

करेडा (भीलवाड़ा)

बालाशान vs सुरा

पुं. सं. 204/2021

नम्बर व तारीख

अहकाम जो इस

हुक्म की तामील

में जारी हुए

20/11/21

सम्मान्य एवं उपस्थित पीठाधीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर है। अज्ञात पर है/पुस्तकित है  
अतः पत्रवली दिनांक 03/11/22 को पेश है !



उपखण्ड अधिकारी करेडा

31/01/22 पत्रावली पेश हुई, वकीलशायी उप  
विपक्षी सं. 1 की तामील में विपक्षी अपुष्ट  
विपक्षी सं. 2 की तामिल हुई सम्मन जारी  
राज. एन पेश होने पर जपनी हो, परेकार  
सरकार-उपस्थित। विपक्षी सं. 3 से 6 के  
आवेकता उपर जवाब हेतु समय याद  
है जो दिया जाता है। पत्रावली बाहर  
जवाब विपक्षी सं. 3 से 6 व डेलन तामिल  
विपक्षी सं. 04 दिनांक 04/01/2022  
को पेश है।

उपखंड अधिकारी पदेन

सहायक कलक्टर करेडा

4/01/22

पत्रावली पेश हुई, वकीलशायी उपस्थित।  
विपक्षी सं. 3 से 6 के आवेकता उपर। परेकार-  
सरकार उपस्थित। एकडण में मुसवाड का  
निष्कारण हो जाने से उक्त प्राण पर में कोई  
कार्यवाही चलाने का कार्य औचित्य नहीं  
है अतः एकडण को इती त्तर पर प्राण  
की कार्यवाही समाप्त की जाती है। एकडण में  
पूर्व में जारी आवेकता निपेक्षा दिनांक 14/01/21  
को स्वरु! निरल माना जावे। पत्रावली फसल  
शुमार लोक उजि नखड को कम है।

उपखंड अधिकारी पदेन

सहायक कलक्टर करेडा

